


टीजी – फेम श्रृंखला
(लक्ष्य समूह – वित्तीय जागरूकता संदेश)



वरिष्ठ
नागरिकों के लिए

वित्तीय
साक्षरता

वित्तीय
साक्षरता
विकास का
रास्ता



वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक



संदेश १:

लुभावनी योजनाओं एवं धोखाधड़ियों से सावधान रहें

संदेश २:

बैंक एवं बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने का तरीका जानें

संदेश ३:

संपदा आयोजना साधन

संदेश ४:

खुश रहने के अच्छे कारण हैं आपके पास, यदि आप पेंशनर हैं

संदेश ५:

सेवानिवृत्त जीवन के लिए उचित निवेश उत्पाद



संदेश 9: लुभावनी योजनाओं और धोखाधड़ियों से सावधान

बैंकों द्वारा ऑफर किए जा रहे रिटर्न की तुलना में अत्यधिक रिटर्न अदा करने का वचन दिया जाना



मित्रों एवं परिवारजनों को शामिल करने के बदले अथवा उप-वितरक नियुक्त करने के बदले पुरस्कार देने की योजना



अंजान संस्थाओं एवं वेबसाइट से निःशुल्क सेवाओं का ऑफर



जटिल एवं नए निवेश विकल्पों के साथ आकर्षक मार्केटिंग सामग्री, जहाँ एक सेल्समैन प्रतिदिन आपसे फॉलो-अप करता हो और जल्दी पंजीकरण करने पर प्रोत्साहन राशि का ऑफर करता हो अथवा कहता हो कि यह योजना केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध है




लुभावनी योजनाएं एवं धोखाधड़ियों की निशानियां



आरबीआई, आईआरडीएआई, सेबी, एनएचबी द्वारा अनधिकृत संस्था अथवा विक्रेता

“आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, अनब्लॉक करने के लिए अपना पुराना पिन दें,”



इस प्रकार के कॉल जो पुरस्कार देने की बात करे अथवा मुकद्दमा, दंड, इत्यादि का आपको डर दिखाए

आपको रु ९०,००० का टैक्स रिफंड प्राप्त हुआ है

अनजान व्यक्तियों अथवा विनियामकों अथवा सरकारी संस्थाओं से बैंक खाते की जानकारी देने विषयक ई-मेल/एसएमएस

मामले की रिपोर्ट करें और विनियामकों की सहायता करें

लुभावनी
योजनाओं की
रिपोर्ट करें

धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें

आरबीआई, सेबी,
आईआरडीएआई,
एनएचबी द्वारा
विनियमित
संस्थाओं के बारे में
अधिक जानें

शिकायतें दर्ज करें एवं
उन्हें ट्रैक करें

शिकायतें दर्ज करें एवं उन्हें ट्रैक करें

सचेत

एसएलसीसी की एक पहल

www.sachet.rbi.org.in

विभिन्न कानूनों के बारे
में जानें

अनियंत्रित
योजनाओं के बारे में
अधिक पढ़ें

अपने विनियामक की
सहायता करें

संदेश २: बैंक एवं बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने का तरीका जानें

शिकायत निवारण

चरण १

ई-मेल, वेबसाइट,
ग्राहक सेवा टोल फ्री
नंबर से आपके बैंक में
शिकायत दर्ज करें

उत्तर प्राप्त करने के लिए 30 दिनों की प्रतीक्षा करें

चरण २

यदि बैंक से कोई उत्तर
प्राप्त नहीं होता है अथवा उत्तर संतोषजनक
नहीं है, तो बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें।
समस्त बैंकिंग लोकपाल के संपर्क ब्यौरे एवं
न्यायाधिकार क्षेत्र निम्नलिखित लिंक से प्राप्त किए
जा सकते हैं:

<https://bankingombudsman.rbi.org.in>

ई-मेल, ऑनलाइन अथवा डाक के माध्यम
से बैंकिंग लोकपाल के पास
शिकायत दर्ज की जा सकती है।

लोकपाल, बैंक एवं ग्राहक के बीच एक समझौता कराने का प्रयास
करेंगे और यदि परस्पर सहमति से कोई निपटान नहीं हो पा रहा
है तो प्रस्तुत किए गए तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर
लोकपाल अपना निर्णय अथवा अवार्ड पारित करेंगे।

चरण ३


कतिपय परिस्थितियों में
लोकपाल द्वारा प्रदत्त समाधान से
यदि ग्राहक खुश नहीं हैं तो वह 30
दिनों के अंदर अपीलीय
प्राधिकारी के समक्ष एक अपील
दायर कर सकता है।
आरबीआई के उप गवर्नर
अपीलीय प्राधिकारी
हैं।

संदेश ३: संपदा आयोजना साधन

वरिष्ठ नागरिकों के लिए संपदा आयोजना के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है – नामांकन। हालाँकि, वसीयतनामा, नामांकन का अधिक्रमण कर सकता है।

समस्त वित्तीय उत्पादों एवं सुरक्षित अभिरक्षा एवं सुरक्षित जमा तिजोरियों के लिए भी उपलब्ध	दावों के शीघ्र निपटान में सहायता होती है और उत्तरजीवी परिवारजनों की परेशानियां कम हो जाती हैं।	नामांकन अनुरोध पंजीकृत करना सुनिश्चित करें। जब भी आवश्यकता हो नामांकन को अद्यतन करें।
--	--	---

अन्य संपदा आयोजना साधन



संदेश ४: खुश रहने के अच्छे कारण हैं आपके पास, यदि आप पेंशनर हैं

पेंशन के लिए अलग से खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है।

पेंशन प्राप्त करने के लिए मौजूदा खाते का उपयोग किया जा सकता है।

पेंशन खाते को अन्य शाखा या विभिन्न बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है।

“जीवन प्रमाण”
- आधार और मोबाईल का प्रयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र

हर साल नवंबर में अपनी बैंक की शाखा में अपना 'जीवन प्रमाण-पत्र' जमा करना याद रखें और संबंधित बैंक से उक्त की हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त करें। यदि कोई पेंशनभोगी गंभीर बीमारी / अक्षमता के कारण 'जीवन प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने में असमर्थ है तो 'जीवन प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के लिए बैंक अधिकारी उनके निवास / अस्पताल में आएंगे।



संयुक्त खातों की जानकारी और जमा की समयपूर्व निकासी

1

आपको अपने पति या पत्नी के साथ एक संयुक्त खाता रखने की सलाह दी जाती है और नामांकन पंजीकृत करके रखने अथवा “कोई एक उत्तरजीवी” अथवा “पूर्व अथवा उत्तरजीवी” परिचालन निर्देश लागू करके रखने की सलाह दी जाती है।

2

आवश्यकता के मामले में यदि आप अपनी सावधि जमा / मीयादी जमा अपरिपक्वता पर निकालना चाहते हैं तो ऐसे मामले में, आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपने राशि जमा करने के समय अथवा जमा की अवधि के दौरान किसी भी समय उक्त के लिए अधिदेश दिया है।

3

यदि आप परिपक्वता पर सावधि जमा राशि का दावा नहीं करते हैं, तो बैंक, राशि को उसी अवधि के लिए मौजूदा दरों पर स्वतः नवीनीकृत कर सकता है, अगर आपने जमा करते समय यह सुविधा चुनी है।

वृद्ध / बीमार / अक्षम व्यक्तियों के लिए बैंक परिचालन

1

यदि आप वृद्ध, अस्वस्थ या शारीरिक रूप से अक्षम हैं, तो आप अपने अंगूठे की छाप का उपयोग करके पैसे निकाल सकते हैं। अंगूठे की छाप की पहचान बैंक को ज्ञात दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए। इनमें से एक जिम्मेदार बैंक अधिकारी होना चाहिए।

2

यदि आप अपने अंगूठे की छाप भी नहीं लगा सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से बैंक में मौजूद नहीं हो सकते हैं तो चेक / निकासी फॉर्म पर एक निशान लिया जा सकता है जिसे दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचाना जाना चाहिए, जिनमें से एक जिम्मेदार बैंक अधिकारी होना चाहिए।

3

बैंक आपसे यह भी पूछ सकता है कि उक्त प्राप्त चेक / निकासी फॉर्म के आधार पर बैंक से पैसा कौन निकालेगा और उस व्यक्ति को दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचाना जाना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में बैंक से पैसा निकाल रहा होगा उसे बैंक को अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

संदेश ५: सेवानिवृत्त जीवन के लिये उचित निवेश उत्पाद

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना



सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) 2004, एक बहुत अच्छा विकल्प है। एससीएसएस आकर्षक प्रतिलाभ दर की पेशकश करता है तथा ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाता है। प्राप्त ब्याज पर लागू दर के अनुसार कर देना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए निवेश की सीमा रु.15 लाख तक सीमित है।

सावधि जमा



सावधि जमा उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है जिनकी वार्षिक आय रु.5 लाख से कम है। क्योंकि वे 5% टैक्स ब्रेकेट में हैं। जिनकी वार्षिक आय रु.5 लाख से अधिक है, उन्हें सावधि जमा से अर्जित ब्याज आय पर 20% / 30% कर देना होगा।

प्रतिगामी बंधक रखना



ऐसे व्यक्ति जिनको सेवानिवृत्ति के बाद अपर्याप्त कोष प्राप्त हुआ है, परंतु उनका अपना घर है, उन्हें प्रतिगामी बंधक (रिवर्स मॉर्टगैज) रखने के विकल्प द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त नकद प्रवाह प्राप्त हो सकता है।

इस विकल्प के तहत कर मुक्त आय, सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिये एक अतिरिक्त लाभ है

वार्षिकी (एन्यूटी) योजनाएं



वार्षिकी योजनाएं बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सेवानिवृत्त व्यक्तियों को उम्मीद के मुताबिक नकद प्रवाह प्रदान करती हैं क्योंकि प्रतिलाभ की दर निवेश के समय ही निर्धारित होती है। वार्षिकी का भुगतान प्राप्त करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हैं जैसे कि 5,10,15 वर्षों के लिए नियत भुगतान योजना, निवेशक की मृत्यु पर मूल निधि की वापसी, पति अथवा पत्नी को आजीवन वार्षिकी का भुगतान, आदि। इसका एक उदाहरण डाकघरों एवं बैंकों द्वारा पेश की जा रही मासिक आय योजना (एमआईएस) है, जहां प्राप्त वार्षिकी पर लागू दरों से कर देना पड़ता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल में की गई पहल - वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग सुविधाएं

वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए समर्पित काउंटर	बैंकों को सूचित किया गया है कि वे स्पष्ट रूप से दिखने वाले समर्पित काउंटर बनाए अथवा कोई एक ऐसा विशेष काउंटर बनाए जिस पर वरिष्ठ नागरिकों और दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता के स्तर पर सेवाएं प्रदान की जाए।
जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में सुविधा	'जीवन प्रमाण योजना' के अंतर्गत डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा के अतिरिक्त, पेंशनभोगी पेंशन देने वाले बैंक की किसी भी शाखा में प्रत्यक्ष जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा पेंशन जमा होने में किसी भी प्रकार के विलंब से बचने के लिए उक्त को कोर बैंकिंग सोल्युशन (सीबीएस) प्रणाली के माध्यम से बिना भूले अद्यतन किया जाना चाहिए।
खाते की स्थिति का स्वचालित परिवर्तन	केवाईसी – बैंक के रिकॉर्ड में उल्लिखित जन्म तारीख के आधार पर सामान्य खाता अपने आप ही 'वरिष्ठ नागरिक खाते' में परिवर्तित हो जाएगा।
फार्म १५ जी /एच को भरने में सुविधा	बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को वर्ष में एक बार (अधिमानतः अप्रैल महिने में), अथवा निर्धारित समय पर, यदि लागू हो तो, फार्म 15 जी/एच उपलब्ध कराएं ताकि वे उक्त को समय पर प्रस्तुत कर सकें।
बैंकिंग आपके द्वार पर	बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ऐसे ग्राहकों को बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि रसीद के बदले नकदी जमा और इन्स्ट्रुमेंट्स स्वीकार करना, खाते से आहरण के बदले नकदी की सुपुर्दगी, मांग ड्राफ्टों की सुपुर्दगी, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दस्तावेजों तथा जीवन प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने की सुविधा उनके आवास / परिसर पर प्रदान करने हेतु ठोस कदम उठाएँ।

फार्म १५जी और फार्म १५एच

यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और आपके पास पैन (स्थायी खाता संख्या) है और उस वर्ष के लिए आपकी कुल आय पर कर गणना 'शून्य' है तो आप फार्म 15 एच प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, बैंक आयकर नियम 1962 के अंतर्गत निवेशकों से टीडीएस की कटौती नहीं करेगा। साथ ही आपको यह भी नोट करना चाहिए कि 15 एच के प्रस्तुतिकरण के समय आप अपने बैंक से पावती अवश्य प्राप्त करें। जबकि फार्म 15 एच 60 वर्ष से अधिक आयु वाले निवासी व्यक्तियों के लिए हैं, फार्म 15 जी 60 वर्ष से कम आयु वाले निवासी व्यक्तियों के लिए हैं। फार्म 15 जी के लिए एक अतिरिक्त मानदंड यह भी है कि इस वर्ष, सभी स्रोतों से प्राप्त कुल ब्याज आय, अधिकतर आयकर छूट सीमा से कम हो।

प्रतिवर्ष ३१ जुलाई से पहले अपना टैक्स रिटर्न भरना याद रखें।

यदि आपको रिटर्न फाइल करने समय किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो आप www.trpscheme.com से आयकर विभाग द्वारा नियुक्त अधिकृत कर रिटर्न निर्माणकर्ता का पता लगा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.incometaxindia.gov.in का अवलोकन करें।



लक्ष्य विशिष्ट वित्तीय साक्षरता सामग्री

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ से संबंधी समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह था कि वित्तीय शिक्षा के लिए “सभी के लिए एक ही शिक्षा” वाला दृष्टिकोण शायद उचित न हो क्योंकि विभिन्न लक्ष्य समूहों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, सामग्री को विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग ने पांच अलग-अलग समूहों अर्थात किसान, लघु उद्यमियों, स्कूली बच्चों, एसएचजी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कस्टमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री का निर्माण किया है। यह पुस्तक कस्टमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री पर पांच पुस्तकों की श्रृंखला में से एक है।

अस्वीकरण

यह पुस्तक, पढ़ने और शिक्षण सामग्री के रूप में प्रस्तुत की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य पाठक को वित्तीय साक्षर बनाना है। इसका उद्देश्य किसी भी विशेष वित्तीय उत्पाद/दों या सेवा/ओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए पाठक को प्रभावित करना नहीं है।

प्रतिलिप्याधिकार

प्रथम संस्करण – अप्रैल 2018

सामग्री को पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति है, बशर्ते स्रोत की जानकारी दी गई हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई,
द्वारा लिखित और प्रकाशित

अभिस्वीकृति

डिजाइन: कौशिक रामचंद्रन



वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय

मुंबई 400001, भारत